

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस



प्रकरण सं० : 15/2019

अनवान :

1. जगदीश पुत्र सुबेसिंह जाति जाट निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णकुमार पुत्र रामदयाल जाति जाट सहारण निवासी गांव नेठराना तहसील जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थीगण

बनाम

1. गिरधारी पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी नेठराना।
2. छोटुराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी नेठराना।
3. खेताराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी नेठराना।
4. बाधो पत्नि सुबेसिंह जाति जाट निवासी नेठराना।
5. बंशीलाल पुत्र सुबेसिंह जाति जाट निवासी नेठराना।
6. मैनादेवी पत्नि गंगाधर जाति जाट निवासी नेठराना।
7. बलवीरसिंह गंगाधर जाति जाट निवासी नेठराना।
8. राकेश कुमार पुत्र गंगाधर जाति जाट निवासी नेठराना।
9. जगदीश पुत्र गंगाधर जाति जाट निवासी नेठराना। (डिलिट)
10. रोशनी पत्नि घडसीराम जाति जाट निवासी नेठराना।
11. मनोजकुमार पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी नेठराना।
12. सुधीरकुमार पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी नेठराना।
13. रेखा पुत्री घडसीराम जाति जाट निवासी नेठराना।
14. मंगतुराम पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी नेठराना।
15. जसवन्त पुत्र मंगतुराम जाति जाट निवासी नेठराना।
16. सुरेशकुमार पुत्र मंगतुराम जाति जाट निवासी नेठराना।
17. ओमपति पत्नि कालुराम जाति जाट निवासी नेठराना।
18. राजेशकुमार पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी नेठराना।
19. सुरेशकुमार पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी नेठराना।
20. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार भादरा।

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : प्रार्थीगण

वकील श्री सुरजीत बिजारणिया : अप्रार्थी सं० 1 ता 8, 10,

11, 13 ता 19

पेरोकार राज : अप्रार्थी सं० 20

निर्णय

दिनांक : 16.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 22/20 के मु०नं० 40 के किला नं० 7 से 10 की 1.012 है० नहरी कृषि भूमि खेताराम अप्रार्थी सं० 3 के नाम खातेदारी दर्ज है।

चक 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 24/22 के मु०नं० 40 के किला नं० 21 से 23 की 0.759 है० नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी सं० 6 से 8 मैनादेवी, बलवीरसिंह व राकेशकुमार के नाम खातेदारी दर्ज है।

चक 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 26/24 के मु०नं० 40 के किला नं० 17 से 20 की 1.012 है० नहरी अप्रार्थी सं० 1 गिरधारी के नाम खातेदारी दर्ज है। चक 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 32/31 के मु०नं० 40 के किला नं० 11 से 14 की 1.012 है० अप्रार्थी सं० 2 छोटुराम के नाम खातेदारी दर्ज है। चक नं० 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 33/32 के मु०नं० 40 के किला नं० 24 व 25की 0.506 है० नहरी मय खाला प्रार्थी जगदीश व अप्रार्थी सं० 4 व 5 बाधो एवं बशीलाल के नाम खातेदारी दर्ज है। चक 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 73/75 के मु०नं० 35 के किला नं० 17 से 27 व मु०नं० 40 के किला नं० 1 से 4, मु०नं० 46 के किला नं० 21 मु०नं० 47 के किला नं० 22 से 25 इस प्रकार खाता का कुल योग 4.238 है० नहरी बारानी मय खाला राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी कृष्णकुमार, अप्रार्थीगण सं० 14 ता 19 मंगतुराम, जसवन्त, सुरेशकुमार, ओमपति, राजेशकुमार व सुरेशकुमार के नाम खातेदारी दर्ज है। चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 22/20 के मु०नं० 49 के किला नं० 1 से 3 व 10 मु०नं० 50 के किला नं० 6 मु०नं० 62 के किला नं० 5, 6, 15, 16 इस प्रकार खाता का कुल योग 2.277 है० नहरी बारानी मय खाला अप्रार्थी सं० 3 खेताराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक नं० 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 27/25 के मु०नं० 49 के किला नं० 11, 19 से 22 मु०नं० 62 के किला नं० 2, 9, 12, 19 इस प्रकार खाता का कुल योग 2.277 है० नहरी बारानी मय रास्ता अप्रार्थी सं० 1 गिरधारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 30/28 के मु०नं० 49 के किला नं० 8, 9, 12, 13, 18 मु०नं० 62 के किला नं० 3, 8, 13, 18 इस प्रकार खाता का कुल योग 2.277 है० नहरी बारानी मय रास्ता अप्रार्थी सं० 2 छोटूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 314/29 के मु०नं० 45 के किला नं० 15 मु०नं० 46 के किला नं० 11, 12, 13, 18, 19, 20 मु०नं० 62 के किला नं० 21 से 25 इस प्रकार खाता का कुल योग 3.036 है० नहरी प्रार्थी जगदीश व अप्रार्थी सं० 4 व 5 बाधो व बशीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 67/22 के मु०नं० 45 के किला नं० 16, 25 मु०नं० 46 के किला नं० 21 से 23 मु०नं० 50 के किला नं० 5 मु०नं० 62 के किला नं० 1, 10, 11, 20 इस प्रकार खाता का कुल योग 2.530 है० नहरी बारानी मय खाला अप्रार्थी सं० 6 से 8 मैनादेवी बलवीरसिंह एवं राकेशकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 87/84 के मु०नं० 49 के किला नं० 4, 7, 14, 17 मु०नं० 62 के किला नं० 4, 7, 14, 17 इस प्रकार खाता का कुल योग 2.024 है० नहरी बारानी मय रास्ता खाला अप्रार्थी सं० 10 ता 13 रोशनी, मनोजकुमार, सुधीरकुमार, व रेखा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 59/58 के मु०नं० 63 के किला नं० 1 से 20, 23 से 25 इस प्रकार खाता का कुल योग 5.819 है० नहरी

प्रार्थी कृष्ण कुमार व अप्रार्थी सं० 14 से 19 मंगतुराम, जसवन्त, सुरेशकुमार ओमपति राजेशकुमार व सुरेशकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्व में दोनों चकों में पूर्व से पश्चिम हमारे खेतों की सीव तक रास्ता गुजरता है जो पूर्व से स्वीकृतशुदा है। लेकिन हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अपनी अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए कोई राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है जिस कारण हमें काफी परेशानी का करना पड़ता है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से पहले से चक 1 बीआरडब्ल्यू के मु०नं० 35 के किला नं० 24 में 0.013 है० पूर्वी पासा मु०नं० 40 के किला नं० 4, 7, 14, 17 प्रत्येक में 0.013 है० पूर्वी पासा एवं किला नं० 24 में 0.001 है० उत्तरी पूर्वी कोना एवं किला नं० 25 में 0.013 है० पश्चिमी पासा, मु०नं० 46 के किला नं० 18 व 23 प्रत्येक किला में 0.013 है० पूर्वी पासा मु०नं० 49 के किला नं० 3, 8, 13, 18 प्रत्येक किला में 0.013 है० पूर्वी पासा, सभी किलों में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में हम सभी आवागमन करते हैं लेकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

चक 3 बीआरडब्ल्यू के मु०नं० 62 के किला नं० 5, 6, 15 प्रत्येक किला में 0.013 है० पश्चिमी पासा, किला नं० 16 में 0.025 है० पश्चिमी पासा एवं दक्षिणी पास एक एक बिस्वा दोनों तरफ, किला नं० 17 से 19 प्रत्येक किला में 0.013 है० दक्षिणी पासा, किला नं० 25 में 0.013 है० पूर्वी पासा मु०नं० 63 के किला नं० 5, 6, 15, 16 प्रत्येक किला में 0.013 है० पूर्वी पासा, सभी किलों में इसी अनुसार हम सभी आवागमन करते हैं लेकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

प्रस्तावित रास्ता में सबसे अधिक प्रभावित अप्रार्थी सं० 3 खेताराम है जिसकी भरपाई हेतु प्रार्थी सं० 2 कृष्णकुमार व अप्रार्थी सं० 14 ता 19 के खाता में से मु०नं० 40 के किला नं० 1 से 4 प्रत्येक किला में 1-1/2 बिस्वा दक्षिणी पासा यानि 0.019 है० प्रत्येक किला में दक्षिणी पासा कृषि भूमि खेताराम के खाता के चिपते बदले में देना खाता विभाजन के समय तय किया गया था लेकिन सहबन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 8 10, 11, 13 ता 19 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। अप्रार्थी सं० 12 ने जबाब पेश किया। अप्रार्थी सं० 20 परोकार ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी कृष्णकुमार पुत्र रामदयाल के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यू प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 1 बीआरडब्ल्यू खाता सं० 22/20, 24/22, 26/24, 32/31, 33/32, 73/75 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, 3, 4, 5, 6, 7, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यू खाता सं० 22/20, 27/25, 30/28, 31/29, 67/22, 87/84, 59/58 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए खाता विभाजन के समय छोड़े के चालु रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने रोही

मौजा चक 1 व 3 बीआरडब्ल्यु की अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए चालु शुदा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये जाने हेतु पेश किया है। ~~करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।~~ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 8, 10, 11, 13 ता 19 ने रास्ता स्वीकृति बाबत अपने द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में सहमति प्रकट की है। अप्रार्थी सं० 12 व अप्रार्थी सं० 20 परोकार राज ने अपने जबाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं किया है तथा एक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में आवागमन व सामान इत्यादि के परिवहन एवं कृषि भूमि सुधार के लिए रास्ता आवश्यक होता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा चक 1 बीआरडब्ल्यु के मु०नं० 35 के किला नं० 24 में 0.013 है० पूर्वी पासा मु०नं० 40 के किला नं० 4, 7, 14, 17 प्रत्येक में 0.013 है० पूर्वी पासा एवं किला नं० 24 में 0.001 है० उतरी पूर्वी कोना एवं किला नं० 25 में 0.013 है० पश्चिमी पासा, मु०नं० 48 के किला नं० 18 व 23 प्रत्येक किला में 0.013 है० पूर्वी पासा मु०नं० 49 के किला नं० 3, 8, 13, 18 प्रत्येक किला में 0.013 है० पूर्वी पासा, सभी किलों में उतर से दक्षिण लम्बाई में तथा चक 3 बीआरडब्ल्यु के मु०नं० 62 के किला नं० 5, 6, 15 प्रत्येक किला में 0.013 है० पश्चिमी पासा, किला नं० 16 में 0.025 है० पश्चिमी पासा एवं दक्षिणी पास एक एक बिस्वा दोनों तरफ, किला नं० 17 से 19 प्रत्येक किला में 0.013 है० दक्षिणी पासा, किला नं० 25 में 0.013 है० पूर्वी पासा मु०नं० 63 के किला नं० 5, 6, 15, 16 प्रत्येक किला में 0.013 है० पूर्वी पासा, सभी किलों में रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे।

प्रस्तावित रास्ता में सबसे अधिक प्रभावित अप्रार्थी सं० 3 खेताराम है जिसकी भरपाई हेतु मु०नं० 40 के किला नं० 1 से 4 प्रत्येक किला में से 1-1/2 बिस्वा यानि 0.019 है० प्रत्येक किला में दक्षिणी पासा की कृषि भूमि खेताराम के खाता के चिपती हुई प्रार्थी सं० 2 कृष्णकुमार व अप्रार्थी सं० 14 ता 19 के खाता में से कम की जाकर रास्ता में गई भूमि के एवज में अप्रार्थी सं० 3 खेताराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

स्थायी रूप से सुनाया गया।



A-116-012
(सुखाराम पिण्डेल)

उपखण्ड (अधिकारी नगढ़) R.A.S.

उपखण्ड (अधिकारी नगढ़)

भादरा, जिला हनुमानगढ़